जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीः– तहसीलदार तिंवरी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित –

प्रार्थीया की ओर से – अधिवक्ता श्री राजेश खीचड़।

अप्रार्थी की ओर से – सरकारी पैरोकार।

–::निर्णय::–

दिनांकः– 25/1/21

प्रार्थीया द्वारा एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का इस आशय का प्रस्तुत किया कि– प्रार्थीया की खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि खसरा नम्बर 2581 रकबा 09 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 2623 रकबा 03 बिस्वा गै.मु. ढाणी, खसरा नम्बर 2624 रकबा 11 बीघा मौजा रामनगर, पटवार हल्का चेराई, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर की सरहद में आई हुई है। उक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीया का नाम सामादेवी पत्नी लूणाराम दर्ज लेकिन प्रार्थीया का वास्तविक नाम सीमा देवी है। राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीया का नाम दर्ज करते वक्त राजस्व कर्मचारियों की भूलवश सामा देवी दर्ज कर दिया जो गलत है। प्रार्थीया के तमाम दस्तावेज आधार कार्ड, राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र इत्यादिम में प्रार्थीया का नाम सीमादेवी दर्ज है उक्त राजस्व रेकर्ड में नाम त्रुटि केवल मात्र राजस्व कर्मचारियों की सद्भाविक भूल के कारण हुई है। जो वर्तमान में उसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। राजस्व रेकर्ड में रही त्रुटि को लेकर प्रार्थीया को भयंकर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जिस वजह से प्रार्थी अपनी भूमि पर भूमि सुधार कार्य करने व कृषि विद्युत कनेक्शन बाबत् तमाम कार्य रूके हुए पड़े है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान् से निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीया की खातेदारी व कब्जासुदा भूमि खसरा नम्बर 2581 रकबा 09 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 2623 रकबा 03 बिस्वा गै.मु. ढाणी, खसरा नम्बर 2624 रकबा 11 बीघा मौजा रामनगर, पटवार हल्का चेराई, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर में प्रार्थीया का

सहायक कर्मचारी, मौलिक

Scanned with CamScanner

नाम सामादेवी दर्ज कर रखा है जो गलत है उसके स्थान पर प्रार्थीया का वास्तविक नाम सीमादेवी दर्ज किया जाकर राजस्व रेकर्ड दुरस्त किये जाने का आदेश सादिर फरमाया जावें तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करवाया जावें।

प्रार्थीया का उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये नोटिस अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार उपस्थित हुए। अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थीया का वास्तविक नाम सीमा देवी है।

प्रार्थीया अधिवक्ता की बहस सुनी गई बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया जिससे यह स्पष्ट है कि प्रार्थीया का सही नाम सीमादेवी है जो पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात से स्पष्ट है, इसलिए प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

–::आदेश::–

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीया की **खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 2581 रकबा 09 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 2623 रकबा 03 बिस्वा गै.मु. ढाणी, खसरा नम्बर 2624 रकबा 11 बीघा मौजा** रामनगर, पटवार हल्का चेराई, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीया का नाम सामादेवी पत्नी लूणाराम के स्थान पर सीमा देवी पत्नी लूणाराम दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार तिंवरी को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

आज दिनांक 25/1/21 को खुला न्यायालय में आदेश सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

Scanned with CamScanner